

तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-वनपाल के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :- परीक्षा की स्कीम

| विषय | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक | समय |
|---|--------------------|---------|------------|
| सामान्य ज्ञान (General Knowledge), सामाजिक अध्ययन (Social Studies), भूगोल (Geography), इतिहास (History), कला एवं संस्कृति (Art and Culture), दैनिक विज्ञान (Everyday Science), गणित (Mathematics), समसामयिक मामले (Current Affairs) इत्यादि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे। | 100 | 100 | 02:00 घंटे |

नोट:-

1. प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होंगे।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
3. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक (Negative Marking) काटे जाएंगे।

पाठ्यक्रम (Syllabus)

| | |
|---|--|
| <p>(1) सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन – (50 अंक)</p> <p>(क) राजस्थान का इतिहास :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रमुख सभ्यताएं एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ● प्रमुख राजवंश एवं प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां। ● 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आन्दोलन, प्रजामण्डल आन्दोलन व राजस्थान का एकीकरण। ● प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। <p>(ख) राजस्थान की कला एवं संस्कृति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्थापत्य एवं चित्रकला। ● लोक: संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय। ● प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवी-देवता। ● सामाजिक जीवन- वेशभूषा, आभूषण, मेले एवं त्यौहार, रीति-रिवाज। ● भाषा, बोलियां एवं साहित्य। ● कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व। <p>(ग) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं | <p>(1) General Knowledge and Social Studies – (50 Marks)</p> <p>(a) History of Rajasthan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Major ancient civilizations and important archaeological sites. ● Major dynasties, Prominent rulers, and their achievements. ● Revolution of 1857, Peasant movements, Tribal movements, Praja Mandal movements and The Integration of Rajasthan. ● Prominent Historical Personalities. <p>(b) Art and culture of Rajasthan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Architecture and Paintings. ● Folk: Music, Musical Instruments, Dances, Dramas. ● Major religious sects and folk deities. ● Social life: Dresses, Ornaments, Fairs, Festivals, Customs and Traditions. ● Language, Dialects and Literature. ● Prominent Personalities in the field of Art and Culture. <p>(c) Indian Political System with special emphasis on Rajasthan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nature of the Indian Constitution, Preamble, |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>मौलिक कर्तव्य।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य एवं जिला स्तर का प्रशासनिक ढांचा एवं कार्यप्रणाली। स्थानीय स्व-शासन एवं पंचायती राज। <p>(घ) राजस्थान का भूगोल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थान, विस्तार, प्रशासनिक एवं भौतिक संरचना, वन संसाधन। वन्यजीव अभयारण्य, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। पर्यटन स्थल एवं स्मारक। जनसंख्या – आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, एवं साक्षरता। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। <p>(ङ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था :-</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था- विशेषताएं और समस्याएं। राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा। हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ एवं अधिनियम, विकास संस्थाएँ, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। | <p>Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, and Fundamental Duties.</p> <ul style="list-style-type: none"> Political and Administrative system of Rajasthan: Governor, Chief Minister, State Legislature, High Court, Rajasthan Public Service Commission, State Election Commission, State Information Commission, State Human Rights Commission, Administrative Structure and Functioning of State and District. Local Self-Government and Panchayati Raj. <p>(d) Geography of Rajasthan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Location, Expansion, Administrative and Physical Structure, Forest Resources. Wildlife Sanctuaries, Forest and Wildlife Conservation. Climate, Soil, Drainage System, Lakes, Major Crops, Major Irrigation Projects. Mineral Resources, Energy Resources. Tourism Places and Monuments. Population – Size, Growth, Distribution, Density, Sex Ratio, and Literacy. Disaster Management and Climate Change. <p>(e) Economy of Rajasthan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Role of Industry, Agriculture, Animal Husbandry and Mineral sector in the development of the State. Rajasthan Economy: features and problems. Concept of State Income and Budget. Handicraft Industry, Unemployment, Drought, and Famine. Various Welfare Schemes and Acts in Rajasthan, Development Institutions, Small Enterprises, Financial Institutions, and the role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development. |
| <p>(2) दैनिक विज्ञान – (20 अंक)</p> <ul style="list-style-type: none"> भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। प्रकाश के नियम। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र। पोषण एवं संतुलित आहार। प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान। | <p>(2) Everyday Science – (20 Marks)</p> <ul style="list-style-type: none"> Physical and Chemical changes. Metals, Non-Metals and Major Compounds. Laws of light. General terminology related to Genetics. Human Body: Structure, Organ Systems. Nutrition and Balanced Diet. Major Human Diseases, Causes and Diagnosis, Waste Management. Ecosystem and Biodiversity. Knowledge of information technology and computer. |
| <p>(3) गणित – (15 अंक)</p> <ul style="list-style-type: none"> लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य, औसत, | <p>(3) Maths – (15 Marks)</p> <ul style="list-style-type: none"> LCM & HCF, Average, Profit & Loss, |

| | |
|---|---|
| <p>लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात-समानुपात।</p> <ul style="list-style-type: none"> • समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय। • क्षेत्रफल एवं आयतन। • आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण (आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख, आदि)। | <p>Percentage, Simple Interest, Compound Interest, Ratio-Proportion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Time, Speed, Distance, Work and Time • Area and Volume • Representation of Data through Diagrams (Graphs, Bar Charts, Pie Charts, Line Graphs, etc.) |
| <p>(4) राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के समसामयिक मामले – (15 अंक)</p> <ul style="list-style-type: none"> • राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेल-कूद, आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। • प्रसिद्ध व्यक्तित्व। • कार्यक्रम एवं नीति। | <p>(4) National-level and State of Rajasthan Current Affairs – (15 Marks)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Major current events at the State and National Level in the Fields of Politics, Economy, Society, Culture, Technology, Geography, Ecology, Sports, etc. • Famous Personalities. • Programs and Policies. |

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु परीक्षा के निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

- 23. बोर्ड की वेबसाइट:-** अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

क्रमांक: प.14(173)RSSB/अर्थना/वन विभाग/सीधी भर्ती/2025/

दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 01/2026 क्रमांक: प. 14(173)RSSB/अर्थना/वन विभाग/सीधी भर्ती/2026/ दिनांक यथा हस्ताक्षर की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है। उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम